12-03-18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर नये दावा को पेश करने की अनुमति के साथ दावा विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने प्रा०पत्र पर 'No objection' अंकित किया। प्रा०पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर अवलोकन किया गया।
वकील वादी ने प्रा०पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादिनी मनोहरीदेवी ने अपना हिस्सा चेतराम पुत्र ज्ञाना जाति मेघवाल निवासी रामपुरा को दावा पेश करने से पूर्व विक्रय कर दिया था मगर कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी में उसका अंकन नहीं होने के कारण सहवन की भूल से मनोहरीदेवी को प्रतिवादी बना कर दावा पेश कर दिया था ऐसी स्थिति में दावा हाजा इसी स्टेज पर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विड्रॉ करने की अनुमति दी जावे।
पत्रावली के अवलोकन से वकील वादी का कथन उचित प्रतीत होता है तथा वकील प्रतिवादी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वकील वादी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर नया दावा पेश करने अनुमति दी जाती है तथा दावा वादी विड्रॉ के आधार पर इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।